झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :– 1/PMC/कोर्ट केस/22/2024...884.../राँची, दिनांक–...14.10.2024...

संकल्प

विषयः– दिनांक 01.04.2011 से लागू जलदर अधिसूचना संख्या–272 दिनांक 01.04.2011 में भूतलक्षी प्रभाव से जलदर में संशोधन करने के संबंध में।

1. झारखण्ड सिंचाई अधिनियम 1997 की धारा–3 के अनुसार राज्यान्तर्गत सभी नदी, प्राकृतिक जलधारा, प्राकृतिक जल निकास सरणी (चैनल), प्राकृतिक झील एवं अन्य जल निकाय (Water Body) के जल पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 एवं संविधान की सातवीं अनुसूची के List-II के Entry-17 के अनुसार जल अर्थात जलापूर्ति, सिंचाई एवं नहर, जल निकास एवं तटबंध, जल भंडारण एवं जल शक्ति पर, परन्तुक List-I के Entry-56 को छोड़कर सभी अधिकार राज्य सरकार में निहित है।
2. झारखण्ड उदवह् सिंचाई अधिनियम 1956 तथा झारखण्ड सिंचाई अधिनियम 1997 की धारा 62 एवं 63 के तहत् बिहार/झारखण्ड सरकार द्वारा समय–समय पर निम्न जलदर अधिसूचित की गयी हैं–

दिनांक– 01.04.2011 के पूर्व	बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या– 3/पी०एम०सी०/एस०एम०पी०/144/(पार्ट–11)–517, दिनांक–09.05.2000
दिनांक–01.04.2011 से दिनांक–31.03.2023 तक की अवधि	अधिसूचना संख्या–2/पी०एम०सी०/जलापूर्ति–175/2007–272, दिनांक–01.04.2011
दिनांक– 01.04.2023 से	अधिसूचना संख्या–2/पी०एम०सी०/जलापूर्ति–175/2007–30, दिनांक–17.01.2023

3. सरकार द्वारा अधिसूचित जलदर एवं उसके सापेक्ष में जल संसाधन विभाग द्वारा निर्गत जलदर विपत्र के विरुद्ध विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड में याचिका दायर किया गया था।
4. माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा WP(C) 1581 of 2010, W.P.(C) No.3427 of 2011, W.P.(C) No.4544 of 2011, W.P.(C) No.733 of 2012, W.P.(C) No.1193 of 2012, W.P.(C) No.7439 of 2012, W.P.(C) No.2330 of 2017, W.P.(C) No.1581 of 2010 and W.P.(C) No.1915 of 2005 को एक साथ टैग कर मामलों की सुनवाई की गई।
5. पारित न्यायादेश का कार्यकारी भाग निम्न है–

"Challenge to the Notification No.2/PMC/Jalapurti-175/2007-272 & 275 dated 01.04.2011 and bills raised on its basis in W.P.(C) No.3427 of 2011, W.P.(C) No.4544 of 2011, W.P.(C) No.733 of 2012, W.P.(C) No.1193 of 2012, W.P.(C) No.7439 of 2012 and W.P.(C) No.2330 of 2017 fails and are accordingly, dismissed.

The demand raised in W.P.(C) No.1581 of 2010 and W.P.(C) No.1915 of 2005 are hereby, set aside, the respondent authority will quantify the differential rate for water cess as per purpose for which the water is being supplied, and by separately quantifying the demand, it be raised against the petitioner-Company. Interlocutory Application, if any, is disposed of."

6. पारित न्यायादेश की कंडिका–72 निम्न है–

"*Learned Counsel on behalf of the petitioners are right in their contention that Section 62 does not envisage flat charges for water supplied, but contemplates of differential charges for different purposes. In this regard direction was given in C.W.J.C. No.3819 of 1993(R) right of the State to charge for water supplied was upheld but it was held that there has to be a distinction between the water used for industrial purposes and that used otherwise, especially in the context of the municipal obligations entrusted to TISCO by the State Government. Demand in this case was quashed with direction to the State Government to recalculate the amount to be demanded, on the quantum of water used for non-industrial purposes and for industrial purposes at different rates. By the impugned notification dated 01.04.2011, differential rates have been applied as under:*"

क्रम संख्या	उपयोग	प्राकृतिक जलश्रोत (नदी नाला वितरणी) से आपूरित जलकर दर	जलाशय से आपूरित जलकर दर	नहर से आपूरित जलकर दर
1	औद्योगिक (म्यूनिसिपल जल सहित) इकाईयां / व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिये	9.10	26.40	65.50
2	सतही जल का उपयोग पेयजल के रूप में (कोल्ड ड्रिंक्स, ब्रिभरीज एवं मिनरल वाटर)	45.50	131.90	327.60
3	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग; नगर निगम; नगरपालिका; अधिसूचित क्षेत्र समिति; माडा, धनबाद; माडा, हजारीबाग; पंचायती राज संस्थान एवं अन्य सरकारी संस्थान द्वारा म्यूनिसिपल क्षेत्रों में पेय जलापूर्ति हेतु	सभी जलश्रोतों (यथा प्राकृतिक जलश्रोत, जलाशय, नहर) से आपूरित जलकर दर 7.90		

7. दिनांक–01.04.2011 से लागू जलदर अधिसूचना में औद्योगिक ईकाईओं के औद्योगिक एवं म्यूनिसिपल उपयोग हेतु एक ही जलदर है (26.40 रू प्रति हजार गैलन प्रतिवर्ष 7.5 फीसदी वृद्धि के साथ) तथा सरकारी संस्थानों के म्यूनिसिपल उपयोग हेतु (7.90 रू प्रति हजार गैलन प्रतिवर्ष 7.5 फीसदी वृद्धि के साथ) अलग जलदर अधिसूचित है।

8. इसी अधिसूचना के आधार पर औद्योगिक ईकाईयों को औद्योगिक एवं म्यूनिसिपल उपयोग हेतु अधिसूचित जलदर (उक्त टेबल के क्रमांक संख्या–1) के आधार पर विपत्रीकरण किया गया है।

9. म्यूनिसिपल एवं औद्योगिक जल–दर जल संसाधन विभाग के पत्रांक–272 दिनांक–01.04.2011 से निर्गत अधिसूचना के माध्यम से लागू किया गया था। इसके अनुसार जल स्त्रोत के आधार पर तीन श्रेणियाँ निर्धारित की गयी थीं :–

(क) प्राकृतिक जलस्त्रोत यथा नदी, नाला, प्राकृतिक झील इत्यादि।

(ख) जलाशय

एवं (ग) नहर

साथ ही, जल के उपयोग के आधार पर भी मुख्यतः तीन श्रेणियों में बाँटी गयी थीं :-

(क) औद्योगिक इकाईयों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा जल का उपयोग

(ख) सतही जल का उपयोग पेयजल के रूप में (कोल्ड ड्रिंक्स,विभरीज एवं मिनरल वाटर)

(ग) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, नगर निगम, नगरपालिका, अधिसूचित क्षेत्र, अन्य सरकारी संस्थानों आदि के द्वारा सरकारी संस्थानों के रूप में जल उपयोग।

10. दिनांक–01.04.2011 से लागू जल–दर औद्योगिक इकाइयों/व्यापारिक प्रतिष्ठानों/निजी संस्थानों/निजी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा म्यूनिसिपल उपयोग एवं पेयजलापूर्ति हेतु अलग दर निर्धारित नहीं है। औद्योगिक इकाईयों द्वारा सभी प्रकार के उपयोग के लिये निकासी की जा रही जल हेतु एक ही जल–दर है तथा इस संबंध में कंपनियों द्वारा मुद्दा उठाया जाता रहा है कि औद्योगिक इकाईयों द्वारा म्यूनिसिपल उपयोग की मात्रा के लिये जल–दर कम होनी चाहिए।

11. यद्यपि *C.W.J.C. No.3819 of 1993(R)* में पारित न्यायादेश की कंडिका–6 का निम्न अंश भी अवलोकनीय है–

"There is no dispute that Tisco has also undertaken the municipal obligations in respect of its township at Tisco has also undertake the responsibility of the State.

But we think that there must be a differentiation between the water used for industrial purposes and the water consumed otherwise by way of supply to the colonies, township and so on. This differentiation has been ignored while issuing the bill.

We do not find anything irrational or arbitrary in the rate of Rs. 3/= per thousand gallons adopted by the State. But that rate can be justified only for the water used by Tisco for industrial purposes. Water used for purposes other than industrial purposes has to be charged at a lesser rate as indicated above."

12. वर्णित परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अनुपालन किया जाय, अथवा अपील दायर किया जाय। उक्त बिन्दु पर विधिक परामर्श हेतु संचिका विधि विभाग को भेजी गयी थी।

13. विधि विभाग द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक–01.04.2011 से लागू जलदर में भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करते हुए औद्योगिक इकाइयों के म्यूनिसिपल उपयोग हेतु अलग जलदर का निर्धारण करने का परामर्श प्राप्त हुआ है।

14. विधि विभाग से प्राप्त परामर्श के क्रम में दिनांक–01.04.2011 से लागू जलदर अधिसूचना संख्या–272, दिनांक–01.04.2011 में भूतलक्षी प्रभाव से जलदर में संशोधन करते हुए औद्योगिक इकाइयों/व्यापारिक

प्रतिष्ठानों/निजी संस्थानों/निजी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा म्यूनिसिपल उपयोग एवं पेयजलापूर्ति हेतु अलग जलदर का निर्धारण निम्नरूपेण किया जाता है–

(दर–प्रतिहजार गैलन, प्रतिवर्ष 7.5 फीसदी वृद्धि के अनुरूप)

क्रम संख्या	उपयोग	लागू अवधि	प्राकृतिक जलश्रोत (नदी नाला वितरणी) से आपूरित जलकर दर	जलाशय से आपूरित जलकर दर	नहर से आपूरित जलकर दर
1.	औद्योगिक इकाइयों/व्यापारिक प्रतिष्ठानों/निजी संस्थानों/निजी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा म्यूनिसिपल उपयोग एवं पेयजलापूर्ति हेतु	दिनांक–01.04.2011 से दिनांक–31.03.2012 तक	7.90	8.50	21.00
		दिनांक–01.04.2012 से दिनांक–31.03.2013 तक	8.49	9.14	22.58
		दिनांक–01.04.2013 से दिनांक–31.03.2014 तक	9.13	9.82	24.27
		दिनांक–01.04.2014 से दिनांक–31.03.2015 तक	9.81	10.56	26.09
		दिनांक–01.04.2015 से दिनांक–31.03.2016 तक	10.55	11.35	28.04
		दिनांक–01.04.2016 से दिनांक–31.03.2017 तक	11.34	12.20	30.15
		दिनांक–01.04.2017 से दिनांक–31.03.2018 तक	12.19	13.12	32.41
		दिनांक–01.04.2018 से दिनांक–31.03.2019 तक	13.11	14.10	34.84
		दिनांक–01.04.2020 से दिनांक–31.03.2021 तक	14.09	15.16	37.45
		दिनांक–01.04.2021 से दिनांक–31.03.2022 तक	15.15	16.30	40.26
		दिनांक–01.04.2022 से दिनांक–31.03.2023 तक	16.28	17.52	43.28

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में तुरंत प्रकाशित किया जाय और इसकी सूचना सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(प्रशांत कुमार)
सचिव,
जल संसाधन विभाग,
झारखण्ड, राँची।

पत्रांक :– 1/PMC/कोर्ट केस/22/2024 884 **/राँची, दिनांक–** 14.10.2024

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करवाने की कृपा की जाय।

संयुक्त सचिव (अभि०)
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

पत्रांक :– 1/PMC/कोर्ट केस/22/2024 884 **/राँची, दिनांक–** 14.10.2024

प्रतिलिपिः– प्रधान महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव (अभि०)
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

पत्रांक :– 1/PMC/कोर्ट केस/22/2024 884 **/राँची, दिनांक–** 14.10.2024

प्रतिलिपिः– राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/विभागीय (मुख्य) मंत्री जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची के आप्त सचिव/मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड राँची के आप्त सचिव/मुख्य सचिव कार्यालय के उप सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/सरकार के सभी प्रधान सचिव/सरकार के सभी सचिव, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव (अभि०)
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

पत्रांक :– 1/PMC/कोर्ट केस/22/2024 884 **/राँची, दिनांक–** 14.10.2024

प्रतिलिपिः– सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव (अभि०)
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

E:\Local disk\Node 2\A_PMC\Nipoon Gupta Sir\Sanlekh and Sankalp\Sankalp Post 2011.docx

पत्रांक :— 1 / PMC / कोर्ट केस / 22 / 2024...884...   / राँची, दिनांक—...14.10.2024...

प्रतिलिपिः— अभियंता प्रमुख—I एवं II / सभी विभागीय मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता / कार्यपालक अभियंता (लघु सिंचाई / यांत्रिक सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव (अभि०)
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

पत्रांक :— 1 / PMC / कोर्ट केस / 22 / 2024...884...   / राँची, दिनांक—...14.10.2024...

प्रतिलिपिः— उप सचिव (अभि०), जल संसाधन विभाग को e-Gazette में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव (अभि०)
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

E:\Local disk\Node 2\A_PMC\Nipoon Gupta Sir\Sanlekh and Sankalp\Sankalp Post 2011.docx